संशोधित नियमावली

1 संस्था का नाम : डा. लोहिया शिक्षा समिति

2 संस्था का पता : मुहल्ला होली गेट, एटा

3 पंजीकृत कार्यालय : संस्था का पंजीकृत कार्यालय डा लोहिया शिक्षा समिति, मुहल्ला होली गेट, एटा, जिला एटा (उ प्र) होगा

4 कार्य क्षेत्र : संस्था का कार्य क्षेत्र समस्त उत्तर प्रदेश होगा

5 वित्तीय वर्ष : संस्था का वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा

6 संस्था के उद्देश्य : संस्था के उद्देश्य स्मृति-पत्र के अनुसार होंगे

7 संस्था की सदस्यता तथा सदस्यो के वर्ग : (1) जो व्यक्ति इस संस्था के नियमों एवं विनियमों में आस्था रखते होंगे उन्हें इस संस्था का सदस्य बनाया जा सकता है

(2) संस्था के सदस्यों के निम्न वर्ग होंगे:-

(अ) संरक्षक सदस्य जो व्यक्ति इस संस्था को एकमुश्त 501/- अथवा इतने ही मूल्य की सम्पत्ति दान में देगा वह इस संस्था का संरक्षक सदस्य होगा

(ब) आजीवन सदस्य जो व्यक्ति इस संस्था को एकमुश्त रु1001.00 अथवा इतने ही मूल्य की सम्पत्ति दान में दे, वह व्यक्ति इस संस्था का आजीवन सदस्य होगा

(स) साधारण सदस्य जो व्यक्ति इस संस्था को एकमुश्त रु251.00 देगा वह इस संस्था का साधारण सदस्य होगा

(द) विशिष्ट/मनोनीत सदस्य कोई भी व्यक्ति जो क्रमांक-7 के अनुसार संस्था का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा संस्था की प्रबंधकारिणी समिति संस्था के हित में उसकी विशेष आवश्यकता महसूस करती हो तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रबंधकारिणी समिति पांच वर्ष की अवधि के लिए अपने तीन-चौथाई बहुमत से मनोनीत कर सकती है. ऐसे सदस्यो की संख्या एक समय में अधिक से अधिक चार होगी तथा ऐसे सदस्यो को प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के चुनाव मे मताधिकार नहीं होगा. रु. 101/-वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा.

8 सदस्यता की समाप्ति : (1) मृत्यु होने पर

(2) पागल या दिवालिया घोषित किए जाने पर

(3) किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किए जाने पर

(4) सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर

(5) त्याग पत्र देने तथा स्वीकृत किए जाने पर

(6) अविश्वास का प्रस्ताव बहुमत से पारित होने पर

(7) संस्था विरोधी कार्य करने पर

(8) लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर

~~(9) आचरण भ्रष्ट होने पर~~

9 संस्था के अंग (अ) साधारण सभा, (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

Scanned with CamScanner